मंथन क्रमांक 41
आरक्षण

(1)किसी वस्तु या सुविधा का उपयोग उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई न कर सके उस व्यवस्था को आरक्षण कहते है।
(2)सामान्यतया राज्य को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।
(3)कोई भी सुविधा व्यक्ति को दी जा सकती है समूह को नहीं।
(4)प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान होते है। किसी व्यक्ति को कोई सुविधा अधिकार के रुप में नहीं दी जा सकती, सुविधा के रुप में दी जा सकती है । भारत में आरक्षण अधिकार के रुप में दिया गया, जो गलत है।

हजारों वर्षो से बुद्धिजीवियों ने श्रमशोषण के उददेश्य से योग्यता के आधार पर निर्धारित होने वाली वर्णव्यवस्था को जन्म के आधार पर शुरु कर दिया। यह बदलाव कब से हुआ इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मनु स्मृति में भी जो मिलता है वह मनु लिखित है या प्रक्षिप्त यह कहना भी संभव नहीं है। इस प्रकार के सामाजिक आरक्षण के कारण स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा में बाधा उत्पन्न हुई और समाज में अनेक विसंगतियॉ पैदा हुई। मूर्ख लोग विद्वान और विद्वान श्रमिक या अल्पज्ञानी माने जाने लगे। ब्राम्हण का लडका ब्राम्हण और श्रमिक का लडका श्रम करने के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस विसंगति को दूर करने के लिए कुछ महापुरुषों ने प्रयत्न किये उनमें स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी प्रमुख थे। ये जाति और वर्ण को जन्म की जगह योग्यतानुसार सामाजिक मान्यता दिला रहे थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे राजनेताओं ने उक्त आरक्षण से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के नाम पर एक संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था घोषित कर दी। इस संवैधानिक आरक्षण में आरक्षण को अधिकार मान लिया गया तथा योग्यता के स्थान पर जन्म को ही जाति का आधार घोषित कर दिया गया। आर्य समाज और गांधी ने भरपूर विरोध किया किन्तु राजनेताओं की नीयत खराब थी और वे आरक्षण के नाम पर समाज में वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष फैलाकर राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे इसलिए उन्होने किसी की एक न सुनी। ये सभी राजनेता बुद्धिजीवी वर्ग के थे और श्रम के साथ न्याय नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए इन नेताओं और विशेषकर भीमराव अम्बेडकर ने सवर्ण बुद्धिजीवियों और अवर्ण बुद्धिजीवियों के बीच एक समझौता करा दिया जिसे आरक्षण कहते है। अब सारे लाभ के उच्च पदों में अवर्ण बुद्धिजीवियों का भी हिस्सा हो गया किन्तु श्रम के साथ न्याय की बात कहीं नहीं उठी। दुनिया जानती है कि भारत के 90 प्रतिशत आदिवासी और हरिजन श्रमजीवी है किन्तु श्रम मूल्य की कोई चिंता नहीं की गई और ऐसा लगा जैसे आरक्षण लूट के माल बंटवारे के झगडे के समाधान के रुप में था । आरक्षण के द्वारा वह झगडा सुलझ गया। आदिवासी नाम से एक नया वर्ग बनाकर एक अलग तरह का वर्ग संघर्ष पैदा कर दिया गया जबकि स्वतंत्रता के पूर्व आदिवासी और श्रमिक लगभग एक समान थे। 70 वर्षो के बाद भी हम देख रहे है कि 90 प्रतिशत आदिवासी हरिजन आज भी मजदूरी कर रहे है, किसी तरह अपना पेट पाल रहे है। ये लोग निरंतर अपना कर्तव्य कर रहे है और गाय के नाम पर कुत्ता रोटी खा रहा है। यह कुत्ता मोटा होकर काटने के लिए भी दौड रहा है और आटा पीसने वाले को परेशान भी कर रहा है कि वह और तेजी से आटा पीसे। गाय कमजोर हो रही है इसकी चिंता न कुत्ते को है न आटा पीसने वाले को।

यदि हम नये प्रकार के आरक्षण के लाभ हानि की चर्चा करें तो इससे सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा कमजोर हुई है और संवैधानिक व्यवस्था में जाति प्रथा मजबूत हुई है। आरक्षण को अधिकार घोषित कर देने से वर्ग संघर्ष भी बढा है। आरक्षण की गलत व्यवस्था के कारण समाज निरंतर टकराव की दिशा में बढ रहा है। आरक्षण की व्यवस्था ने यदि 10 प्रतिशत लोगों को न्याय दिलाया है तो 90 प्रतिशत लोगों के साथ अन्याय भी किया है। विशेषकर उन आदिवासी हरिजनों के साथ जो आज भी अपनी स्थिति से उपर नहीं उठ सके। मैं स्पष्ट कर दूॅ कि भारत में 70 वर्षो के बाद बुद्धिजीवियों का जीवन स्तर औसत आठ गुना बढा है तो श्रमजीवियों का सिर्फ दोगुना, यह एक प्रकार का अन्याय है। पूरे भारत की औसत विकास दर से श्रमजीवियों की विकास दर भले ही अधिक न हो किन्तु बराबर तो होना ही चाहिये । हम देख रहे है कि निरंतर औसत विकास दर में श्रम और बुद्धि के बीच असमानता बढती जा रही है।

मैं मानता हूॅ कि स्वतंत्रता के पूर्व के सामाजिक आरक्षण ने अनेक जातियों के लोगों के बौद्धिक विकास को रोक रखा था। यदि श्रममूल्य बढता तो श्रम और बुद्धि के बीच का आर्थिक फर्क कम होता और यह अंतर घटता चला जाता। किन्तु मैं इस मांग से सहमत नहीं कि आरक्षण सवर्णो के साथ कोई अन्याय है

क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व आरक्षण का लाभ उठाकर ही वे लोग बिना योग्यता के योग्य बन गये थे। वर्तमान समय में जो लोग आरक्षण का विरोध कर रहे है उनका विरोध उस लूट के माल में हिस्सेदारी तक सीमित है जो संवैधानिक आरक्षण से कुछ जातियों को मिली। वास्तव में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ वे तो आरक्षण का विरोध कर ही नहीं रहे क्योकि उन्हे तो इस षडयंत्र का आभास ही नहीं है।

मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार के आरक्षण को पुरी तरह समाप्त होना ही चाहिये किन्तु आरक्षण को समाप्त करने के पूर्व श्रम बुद्धि और धन के बीच बढते हुये अंतर को कम करने का प्रयास करना होगा। मेरे विचार से यदि कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्यवृद्धि कर दी जाये और उससे प्राप्त धन आधी आबादी को बराबर बराबर बांट दिया जाये तो श्रम का मूल्य बढ सकता है। आर्थिक असमानता भी घट सकती है और आरक्षण पूरी तरह एक झटके में समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में आरक्षण का लाभ उठा रहे लोग तो इसका खुला विरोध करेंगे ही किन्तु अन्य सवर्ण बुद्धिजीवी भी श्रममूल्य वृद्धि का विरोध करेंगे। फिर भी मुझे विश्वास है कि बडी संख्या में बुद्धिजीवी इस कदम का समर्थन भी कर सकते है।

मैं यह भी समझता हूँ कि इतना गंभीर कदम तत्काल उठाना वर्तमान व्यवस्था के लिए कठिन है क्योंकि वर्तमान सम्पूर्ण राजनैतिक व्यवस्था पर बुद्धिजीवियों और पूँजीपतियों का ही एकाधिकार है। ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि जो लोग आरक्षण का लाभ उठाकर सामान्य जीवन स्तर जीने योग्य हो गये है उन्हें आरक्षण से बाहर करके उन्हें अनारक्षित या सवर्ण घोषित कर दिया जाये। इससे धीरे धीरे आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की संख्या घटेगी और इससे बाहर होने वाले आरक्षित जातियों के लोग आरक्षण का विरोध करते नजर आयेंगे क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह पसंद नहीं करेगा कि दूसरों के साथ न्याय हो और उसकी सुविधा में कटौती हो। इसके साथ साथ हम यह भी व्यवस्था कर सकते है कि जिस परिवार को आरक्षण के आधार पर नौकरी या राजनैतिक पद प्राप्त हो गया है उसका पूरा परिवार भविष्य में सवर्ण माना जायेगा। इससे भी बहुत कुछ सुधार संभव है।

मैं पूरी तरह स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का पक्षधर हूँ। मैं किसी भी प्रकार के जातीय धार्मिक या महिलाओं के भी आरक्षण के विरुद्ध हूँ। मैं अपंगो को भी कोई आरक्षण नहीं देने के पक्ष में हूँ। किन्तु यदि अल्पकालिक समाधान के रुप में कुछ चरणों में आरक्षण को कमजोर करने की योजना बनती है तो मैं ऐसी योजना का समर्थन कर सकता हूँ। मैं बुद्धि और श्रम के बीच बढती हुई दूरी को बहुत घातक मानता हूँ और मेरी मान्यता है कि वर्तमान संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था स्वतंत्रता के पूर्व की आरक्षण व्यवस्था से भिन्न नहीं है। भले ही नई बोतल में पुरानी शराब का स्वरुप बदल गया हो।

मंथन कमांक 42
आश्रमों में व्यभिचार

किसी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत बने धर्म स्थानों में कुछ स्थानों को मंदिर या आश्रम कहते है। मंदिर सामाजिक व्यवस्था से संचालित होते है तो आश्रम व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक चलाये जाते है। सामाजिक व्यवस्था में कई सर्व स्वीकृत सिद्धांत प्रचलित होते हैं–

(1)बलात्कार अपराध होता है और व्याभिचार अनैतिक।

(2)व्याभिचार अनुशासन से नियंत्रित किया जा सकता है,कानून से नहीं। बलात्कार शासन से नियंत्रित किया जाता है।

(3)साम्यवाद ने इस संबंध में सबसे अधिक नुकसान किया। साम्यवाद किसी भी तरह परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को तोडना चाहता था। भारत में इस संबंध में साम्यवाद सफल भी हुआ।

(4)नैतिकता के मापदण्ड यदि अव्यावहारिक होते है तो व्याभिचार और बलात्कार बढते जाते हैं।

(5)राजनीति,धर्म,समाज, बाजार पूरी तरह स्वतंत्र रहते हुए एक दूसरे के पूरक होना ही आदर्श व्यवस्था है। किसी भी एक को शेष तीन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। वर्तमान भारत में राजनीति, राज्य, सरकार, न्यायालय,मीडिया आदि ने शेष तीन की कमजोरियों का लाभ उठाकर उन्हे गुलाम बना लिया जो घातक है। आश्रम धर्म और समाज की संयुक्त व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं।

(6)यह एक गंभीर सवाल है कि आज भी आश्रमों में अनेक गंभीर विकृतियां आने के बाद भी भारत उन्हें अन्य की तुलना में अधिक अच्छा मानती है। विकृत धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था को बिना मांगे इमानदारी से धन देना और

सरकारी कार्यो में सभी कानूनों के बाद भी सभी खतरे उठाकर भी टैक्स चोरी करना आम बात है। इस विपरीत अवधारणा में समाज की अपेक्षा राजनैतिक व्यवस्था ही अधिक दोषी हैं।
(7) कहीं कहीं तो ऐसी भी गुप्त व्यवस्था थी कि गांव में किसी योग्य व्यक्ति को अविवाहित रखकर उसका महिलाओं की इच्छापूर्ति के लिए उपयोग किया जाता था। महिलाओं को भी नगर वधु के रुप में रखने की परम्परा रही हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में धर्म से प्रारंभ करके मोक्ष तक जाने के बीच में अर्थ और काम की संतुलित सुविधा स्वीकार की गई है। काम इच्छा मानवीय कमजोरी या कोई विकृति नहीं है बल्कि एक स्वाभाविक भूख है जिसे बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपनी भूख मिटाने के लिए बलात्कार में भी छूट है। किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप बलात्कार के अतिरिक्त भूख मिटाने के अन्य तरीको को अनैतिक घोषित करके उसमें बाधा उत्पन्न करें। प्राचीन समय में काम को संतुलित किन्तु बाधा रहित रखने के अनेक तरीके बताये गये। ऐसे ही तरीको में विवाह पद्धति सबसे अच्छा तरीका माना गया। विवाह के माध्यम से कामतुष्टि, संतान उत्पत्ति, परिवार का सफल संचालन तथा परस्पर विश्वास को एक साथ जोडकर देखा गया। जिस परिवार में ये सब कुछ अनुशासित तरीके से चलता रहा उसे आदर्श व्यवस्था माना गया। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति इस व्यवस्था से अपनी काम इच्छा से संतुष्ट हो ही जायेगा। संभव है कि इस परिवार व्यवस्था में कोई आकास्मिक बाधा भी आ जाये अथवा किसी सदस्य की किसी कारणवश पूर्ण संतुष्टि न हो पावे। ऐसी परिस्थिति में ही समाज ने परिवार के अंदर देवर भाभी के कुछ अनैतिक संबंधो की छूट भी दी थी। फिर भी यदि विशेष परिस्थिति हो तो आश्रमों या धर्म स्थानों को भी इसके लिए विशेष छूट प्राप्त थी। व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि ऐसे स्थानों से काम इच्छा की पूर्ति तो हो जाये किन्तु परिवार व्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। आमतौर पर इस प्रकार की आंतरिक स्थिति की समाज में कोई बुराई के रुप में चर्चा नहीं होती थी। अनेक महिलायें किसी कारणवश संतान पैदा नहीं कर पाती थी तो उन्हें भी इस प्रकार की गुप्त सुविधा प्राप्त थी। मैंने तो सुना है कि अनेक आश्रमों ने इस आधार पर कई अच्छे बच्चों को जन्म दिया किन्तु वे बच्चे माता पिता के माने गये। इस तरह आश्रमों के व्याभिचार को एक आपातकालीन विशेष सुविधा के रुप में माना गया। अधिकांश आश्रमों में इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था मानी जाती है और आज तक चल रही है।

प्राचीन समय में इस व्यवस्था में कुछ सतर्कताये भी थी अर्थात् आश्रम संचालक अपनी इच्छापूर्ति के लिए किसी महिला से निवेदन नहीं कर सकता था बल्कि किसी के निवेदन पर ही उसकी इच्छापूर्ति कर सकता था। बाद में इस व्यवस्था में कुछ विकृति आयी और आश्रम प्रमुख अथवा धर्म स्थान प्रमुख अपनी इच्छापूर्ति के लिए इस व्यवस्था का दुरुपयोग करने लगे। इस दुरुपयोग को ही व्याभिचार माना गया। फिर भी यह चलता रहा और आज भी चल रहा है जो एक विकृति कहा जा सकता है किन्तु बलात्कार नहीं, अपराध नहीं।

यह सच है कि वर्तमान समय में बलात्कारों की संख्या बढ रही है क्योंकि काम की भूख को बलपूर्वक रोकना संभव नहीं है और वर्तमान सामाजिक राजनैतिक अव्यवस्था उसे बलपूर्वक रोकना चाहती है। एक भूखे को यदि बिना उसे स्वाभाविक भोजन की व्यवस्था किये रोकने का प्रयास किया जायेगा तो वह चोरी भी कर सकता है,लूट भी सकता है। आवश्यकता यह नहीं है कि उसे चोरी करने या लूटने की छूट दी जाये। बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि उसकी मजबूरी का ऐसा सामाजिक मार्ग हो जिसके कारण वह भूखा रहने के कारण चोरी या लूट के लिए मजबूर न हो। कामइच्छा पूर्ति की भूख के संबंध में भी यही स्थिति बनती है अर्थात् व्यक्ति को किसी भी स्थिति में ऐसी मजबूरी का सामना न करना पडे कि वह बलात्कार अथवा व्याभिचार के रास्ते पर जाने को मजबूर हो जाये। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत चोरी छिपे सहमत सेक्स को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। जब से भारत में साम्यवादी विचारधारा बढने लगी तब से परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को तोडने के उददेश्य से इस सामाजिक व्यवस्था के साथ छेडछाड हुई। छोटी छोटी अनैतिकताओं की घटनाओं को बढा चढा कर उसे कानूनी अपराध बनाने का प्रयास हुआ। आज भी अनेक ऐसे साधु संत आपराधिक कानूनी समस्याओं से जूझ रहे है जिन्होने सहमत सेक्स किया और बलात्कार नहीं किया।

मैं समझता हूँ कि यह एक अति संवेदनशील विषय है जिसकी चर्चा कई लोगों को अनावश्यक या अव्यवहारिक भी लग सकती है किन्तु जानबूझकर मैंने इस चर्चा को शुरु किया है। मैं मानता हूँ कि इस सामाजिक व्यवस्था में विकृति बढते बढते गंभीर होती चली गई। जब धर्म स्थानों और आश्रमों के नाम पर धन सम्मान और काम इच्छा पूर्ति के असीमित साधन एक जगह उपलब्ध होने लगे तो लंपट व्यसनी और आपराधिक

चरित्र के लोग आश्रम प्रमुख बनने लगे । पुराने जमाने की कठोर सामाजिक व्यवस्था टूट गई और ऐसे आश्रमों का दुरुपयोग भी होने लगा। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस व्यवस्था को ही खराब मान लिया जाये। यदि कोई बलात्कार होता है तो उसके लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये। किन्तु यदि कोई व्याभिचार होता है तो उसके लिए सामाजिक अनुशासन तक ही सीमित रहना चाहिए, कानूनी अपराध तक नहीं। यह तथ्य स्वीकार किया जाना चाहिए कि काम इच्छा पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है और उसमें किसी तरह की बाधा पहुचाना तब तक अपराध है जब तक उसने किसी अन्य की वैसी ही स्वतंत्रता में बाधा पैदा न की हो। आये दिन ना समझ राजनेता काम व्यवस्था से छेडछाड के जो कानून बनाते रहते है वे कानून ही वास्तव में आपराधिक कृत्य माने जाने चाहिए।

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि साम्यवादियों की खराब नीयत को ठीक से पहचानने की जरुरत है। सरकार को ऐसे मामलों में कानून बनाने से बचना चाहिये। निकम्मे और प्रभाव शून्य धर्म गुरु नैतिकता का बहुत उंचा मापदण्ड बनाकर उसे समाज पर कानून द्वारा थोपने की वकालत करते है उनसे भी हमें बचना चाहिये। धर्म और संस्कृति की रक्षा के नाम पर कुछ गुण्डे समाज में उछलकूद मचाते रहते है ऐसे लोगों से भी दूरी बनानी चाहिये। साथ ही व्याभिचार और बलात्कार को अलग अलग मानने और समझने की आवश्यकता है। व्याभिचार कोई अच्छा काम नहीं किन्तु व्याभिचार कोई ऐसा अपराधिक कार्य भी नहीं है जिसे बलपूर्वक रोका जा सके। इस प्रकार का समाज में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। धर्म स्थानों अथवा आश्रमों में जब तक स्पष्ट बलात्कार न हो तब तक उसकी चर्चा करने में आनंद का अनुभव करना कोई अच्छी बात नहीं है। आश्रमों में बढता व्याभिचार एक सामाजिक समस्या है उसे एक तरफ व्यावस्थागत तरीके से पूर्ति के माध्यम खोजकर तथा दूसरी ओर नैतिक शिक्षा के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास होना चाहिए। मेरा यह स्पष्ट मत है कि बलात्कार को छोडकर किसी भी अन्य सहमत सेक्स के मामले से सरकार को पूरी तरह बाहर हो जाना चाहिए।

राजस्थान मे राजपूत अपराधी के पक्ष मे जातीय आंदोलन

राजस्थान के चुरू मे एक राजपूत अपराधी को पुलिस ने मार गिराया। दिग्विजय सिंह जी ने भी राजपूर अपराधी की हत्या को फर्जी इनकाउंटर कहकर सी वी आई जांच की मांगकी। बडी संख्या मे राजस्थान के राजपूतो ने प्रदर्शन करके ऐसी जांच की मांग की है। दिग्विजय जी ने उनके सुर मे सुर मिलाया।

अब तक दिग्विजय जी सिर्फ मुसलमान अपराधियों की फर्जी मुठभेडों पर ही सवाल उठाते रहे है। पहली बार उनकी जातीय भावना किसी अपराधी को फर्जी तरीके से की गई हत्या के पक्ष मे सामने आई है। विचारणीय प्रश्न तो यह होना चाहिये था कि मारा गया व्यक्ति यदि वास्तव मे अपराधी था तो उसकी फर्जी तरीके से की गई हत्या गैर कानूनी कार्य हो सकती है किन्तु अपराध नहीं। जिस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिये उसे यदि बिना न्यायालय मे प्रस्तुत किये पुलिस ने पकड कर मार दिया तो इस संबंध मे सिर्फ तीन प्रकार के लोग ही सवाल उठा सकते हैं। 1जो मृतक का निकट संबंधी हो। 2 जो मृतक का वकील हो। 3 जो व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हो कि मृतक निर्दोष था। यदि कोई चौथा व्यक्ति प्रश्न उठाता है तो उस प्रश्न कर्ता की नीयत पर शक होता है। आंदोलन कारी राजपूतों मे से अधिकांश मृतक से किसी न किसी रूप से व्यक्तिगत रूप से जुडे थे किन्तु दिग्विजय सिंह उनमे शामिल नहीं। दिग्विजय जी ने मृतक को निरपराध भी नही बताया न ही वे मृतक के वकील हैं । मृतक मुसलमान अपराधी भी नही है जिनके वे स्थायी पैरोकार घोषित हैं। ऐसी हालत मे उनका सामने आना उन्हे संदेह के घेरे मे लाता है। दिग्विजय जी को स्थिति साफ करनी चाहिये । मेरे विचार मे तो ऐसे फर्जी इन्काउंटर भले ही गैर कानूनी हो किन्तु किसी भी रूप मे अपराध नहीं क्यो कि वे जनहित मे है।

किसान आत्महत्या

प्रश्न–आज कल किसान आत्महत्या एक चर्चित समस्या के रुप में सामने आई है। ज्यों ज्यों समाधान का प्रयास हो रहा है त्यों त्यों समस्या लगातार बढती जा रही है। मेरे विचार में कर्ज माफी या किसानों को दी गई सुविधाऍं किसान आत्महत्या को बढा रही हैं क्योंकि समाधान ही समस्या की जड है। विचारणीय यह है कि बडे किसान आत्महत्या नहीं कर रहे तथा मजदूर भी नहीं कर रहे। छोटे किसान ही आत्महत्या कर रहे है।

उत्तर– स्पष्ट है कि खेती अन्य व्यवसायों की तुलना में कम लाभ का व्यवसाय है। सरकारें सस्ती बिजली, खाद,पानी, इन्कम टैक्स फ्री,सस्ता बीज,सस्ता ब्याज आदि के नाम पर जो सुविधाऍं देती हैं उसका लाभ

उठाकर बडे किसान कृषि उत्पादन का मूल्य बढने ही नहीं देते। सरकारें मंहगाई रोकने के नाम पर विदेशों से आयात करके भी कृषि उत्पाद के मूल्य कम रखती है। स्वतंत्रता के बाद मुद्रा स्फिीति के आधार पर मजदूरी करीब ढाई गुनी बढी है तो कृषि उत्पाद गेहूॅ,चावल,कपास,,दूध आदि के मूल्य आधे से भी कम हो गये है। प्राचीन समय में एक दिन की मजदूरी में किसान मजदूर को डेढ से दो किलो अनाज देता था। आज आठ से सोलह किलो तक दे रहा है। बडा या बीच का किसान तो सस्ती कृत्रिम उर्जा से बच जा रहा है किन्तु छोटा किसान इतनी मजदूरी देने से त्राहि त्राहि कर उठता है। भारत का सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था उत्पादकों की तुलना में उपभोक्ताओं को अधिक महत्व देती है। धीरे धीरे छोटे किसानों की भूमि भी घट रही है। ऐसी स्थिति में किसान को आकास्मिक खर्च या प्राकृतिक संकट आता है तो वह कही से कर्ज लेता है ब्याज और कर्ज बढता जाता है। इस परिस्थिति में किसानों की आत्महत्या बढना स्वाभाविक है। जिस तरह हर छोटा व्यापारी आत्महत्या करने के लिये मजबूर है उसी तरह छोटे किसानों की भी मजबूरी है। कर्ज माफी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है बल्कि समाधान खोजने के प्रयत्नों में बाधक ही है।

इसके लिये दो तीन समाधान करने होंगे–

1) अलाभकर जोत वाले किसान अपनी खेती छोडकर अपने को मजदूर समझना शुरु कर दें। आत्महत्या रुक जायगी।

2) सरकार किसानो को दी जाने वाली सारी सुविधाएॅ रोक दे। इससे बडे किसान कृषि उत्पादन सस्ता नहीं रख पायेंगे।

3) सरकारें गरीब ग्रामीण श्रमजीवी तथा छोटे किसान के सभी प्रकार के उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं पर से सभी कर समाप्त करके कृत्रिम उर्जा पर लगा दे।

मुझे विश्वास है कि किसान आत्महत्या का यह सबसे अच्छा समाधान है।

पश्चिम के देश श्रम अभाव देश हैं और चीन या भारत श्रम बहुल देश। पश्चिम के देश कृत्रिम उर्जा का मूल्य नहीं बढा सकते। चीन में मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी न होकर राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। अतः श्रम शोषण राष्ट्र के लिये त्याग माना जाता है। भारत चीन के समान तानाशाह नहीं है तथा पश्चिम के समान श्रम अभाव देश भी नहीं है। भारत में श्रम बेकार है खाली है। दूसरी ओर मजदूर खोजने से भी नहीं मिलते। यह बेकार श्रम उत्पादन के क्षेत्र में नहीं लगता क्योंकि बुद्धि और श्रम के बीच दूरी बहुत बढ गई है। एक चपरासी के लिये हजारों आवेदन हैं किन्तु खेत के लिये मजदूर नहीं हैं। किसान भी मजदूरी ज्यादा होने से मशीनों की ओर ही आकर्षित हैं। यदि कृत्रिम उर्जा की मूल्यवृद्धि हो जाये तो बडे किसानों को मशीन और मजदूर में से विकल्प चुनना होगा। दूसरी ओर छोटे किसानो को मजदूरी और किसानी में से एक विकल्प चुनना होगा। आवागमन मंहगा होगा तो ग्रामीण उद्योग विकसित होंगे। चपरासी की लाईन घटेगी। देश के उत्पादन में कृत्रिम उर्जा के साथ साथ मानवीय उर्जा भी लगेगी। देश का उत्पादन बढेगा और आयात घटेगा।

नरेन्द्र मोदी की इजराइल यात्रा

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इजराइल गये हैं। भारत की विदेशनीति पूरी तरह करवट लेती दिख रही है। वर्तमान समय में दुनिया में तीन व्यवस्थाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। साम्यवादी व्यवस्था राज्य तंत्र की तानाशाही है तो मुस्लिम देशों की व्यवस्था धर्म तंत्र की तानाशाही। पश्चिम देशों की व्यवस्था लोकतांत्रिक है जिसमें पूॅजीवाद प्रमुख है। स्वतंत्रता के बाद भारत लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में संतुलन बनाकर चलता रहा। इस्लामिक धर्म तंत्र साम्यवादी तानाशाही तथा लोकतांत्रिक पूॅजीवाद के बीच भारत बीच में रहा। अब साम्यवादी तानाशाही ने पूॅजीवाद से हार मान ली । किन्तु अब भी वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत टक्कर दे रहा है। इस्लामिक धर्म तंत्र धार्मिक मामलों में तो इसाइयों के साथ है किन्तु लोकतंत्र के मामले में तानाशाह साम्यवादियों के साथ। नरेन्द्र मोदी के आने के बाद भारत भी साम्यवाद और इस्लाम के विरुद्ध लगातार पूॅजीवाद और लोकतंत्र की दिशा में तेजी से कदम बढा रहा है। इसका अर्थ है कि भारत लगातार पश्चिमी देशों के गुट में शामिल होता जा रहा है। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा इस दिशा में एक बडा कदम है। भारत पूरी तरह इस गुट में घोषित रुप से शामिल हो जायेगा यह बात अब ज्यादा दूरी नहीं लगती। मोदी की इजराइल यात्रा ने पर्दा बिल्कुल उठा दिया है।

इस परिवर्तन से भारत के वामपंथियों पर तो कोई प्रभाव नहीं पडेगा किन्तु भारत के मुसलमानों पर गहरा प्रभाव पडेगा। वे अब गुप्त नहीं रह सकते और उन्हें एक तरफ स्पष्ट होना होगा कि वे पूॅजीवादी

लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर हैं या तानाशाही धार्मिक व्यवस्था के। या तो उन्हें तेजी से समान नागरिक संहिता को स्वीकार करना होगा अन्यथा भारत में रहते हुए अविश्वसनीयता का खतरा उठाना होगा। तय उन्हें करना है। धीरे धीरे कश्मीर के मुसलमानों को भी तय करना होगा कि वे मुस्लिम संस्कृति के अनुसार सहजीवन की अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करेंगे अथवा भारतीय संस्कृति के अनुसार लोकतांत्रिक पूँजीवाद सहजीवन स्वीकार करेंगे। अब निश्चित दिखता है कि भारत एक निश्चित मार्ग पर चल पडा है और इस मार्ग में सबसे ज्यादा दुविधा भारत के मुसलमानों के समक्ष ही है।

मैं चाहता हूँ कि सभी प्रकार के टैक्स हटाकर सरकार सम्पत्ति पर एक कर लगा दे । इनकम टैक्स जी एस टी सहित सभी कर हटा दे। उस कर का नाम सुरक्षा कर या सम्पत्ति कर रख सकते है। सरकार अपना खर्च को देखते हुये जिस दर पर जिस सीमा पर टैक्स लगाना चाहे वह स्वयं कर ले। एक कर होने से अनेक समस्याए कम हो जायेंगी। यह प्रत्यक्ष कर होगा। कालाधन की भी चर्चा बंद हो जायेगी तथा जी एस टी भी नहीं रहेगा। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी भी कर मुक्त हो जायेगा। आपकी क्या राय हैं।

प्रश्नोत्तर

(1) शिव कुमार खंडेलवाल,सोनीपत,हरियाणा 811070

प्रश्न—ज्ञानतत्व के माध्यम से देश और समाज की विभिन्न गतिविधियों के विषय में आपके विचार और उन विचारों के संदर्भ में कुछ विद्वानों के प्रश्न और आपके द्वारा दिये गये उनके उत्तर निरंतर पढने को मिलते है। निःसंदेह आपका चिन्तन अपेक्षाकृत अधिक गहन और व्यापक होता है।

ज्ञानतत्व के अंक 353 में आपने जिस प्रकार कश्मीर और नक्सलवाद के समस्या पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए है,उसी प्रकार समाज में व्याप्त उस गंभीर समस्या जिसे आपने इस अंक के पृष्ट 25 पर तीन नंबर की संज्ञा दी है और जिससे आज सारा समाज उत्पीडित है,उस गंभीर रोग का यदि सम्यक निदान बताने की कृपा करें तो अनुकम्पा होगी।

उत्तरः—वर्तमान समय में अपराधों को रोकना पूरी दुनिया में बहुत कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है। भारत में तो यह कार्य असंभव सरीखा ही है। रामानुजगंज के साथियों ने मिलकर अपने शहर के अंदर अपराध नियंत्रण का प्रयोग किया, जो बहुत सफल रहा। उसके लिए हम लोगों ने 10 सुत्रीय योजना बनाकर कार्य शुरु किया—

(1) अपराध,गैरकानूनी और अनैतिक को अलग अलग करना । अपराध को तीन नंबर और गैरकानूनी तथा अनैतिक को दो नंबर का कार्य घोषित किया। हमने पाया कि पूरे शहर में तीन नंबर के कार्य करने वालो की संख्या एक प्रतिशत से भी कम थी।

(2) दो नंबर से मुक्ति तीन नंबर तक सीमित। चोरी, डकैती, लूट,बलात्कार, मिलावट, कमतौल,जालसाजी ,धोखाधडी, हिंसा,बलप्रयोग, और आतंकवाद को तीन नंबर माना गया है। वैश्यावृत्ति, ब्लैक, भ्रष्टाचार, तस्करी, वन अपराध, छुआछूत, शराब बेचना, गांजा, अफीम, महिला उत्पीडन, बालश्रम, श्रमशोषण आदि को दो नंबर में डालकर उनको पूरे शहर में छूट दे दी गई। बलात्कार तथा मिलावट कमतौलना को सामाजिक नियंत्रण तक सीमित किया गया। शेष तीन प्रकार के अपराध—(1)चोरी,डकैती,लूट (2) जालसाजी, धोखाधडी (3) गुण्डागर्दी, बलप्रयोग,हिंसा,आतंकवाद को रोकने तक को अपराध नियंत्रण मान लिया गया।

(3) पुलिस के साथ पूरे शहर में बैठकर एक समझौता हुआ कि वे तीन प्रकार के अपराधो में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अन्य किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में समाज कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(4) अपराध नियंत्रण में पुलिस को पूरी सहायता, आर्थिक भी। नगर में प्रत्येक परिवार को वर्ष में एक दिन दो घंटे के लिए गुप्त रुप से रात्रिगस्त करना आवश्यक किया गया। इस गस्त में न्यायाधीश तक शामिल हुये। पुलिस वालो ने जनहित में किसी निर्दोष को मारपीट कर दी तब भी पुलिस का पक्ष लिया गया। किसी न्यायाधीश ने पुलिस वाले को अपमानित किया तो न्यायाधीश को समाज में उत्तरदायी बनाया गया।

(5) जमानत विरोध। पूरे शहर में व्यवस्था बनी कि तीन नंबर घोषित व्यक्ति या तो तीन नंबर के कार्य छोड दे या शहर की सीमा छोडकर बाहर चला जाये। यदि तीन नंबर घोषित व्यक्ति घोषणा के बाद भी कोई अपराध करता है तो शहर का कोई व्यक्ति उसकी जमानत नहीं लेगा तथा कोई वकील उसकी वकालत नहीं करेगा। यहा तक कि उसके परिवार का सदस्य भी ।

(6) दो नंबर के लोगों का मनोबल बढाने हेतु शहर में कई जगह बडे बडे बोर्ड लगाये गये कि गर्व से कहो हम दो नंबर है। अपराध नियंत्रण के बाद पूरे शहर के चारो ओर की सीमा पर बोर्ड लगाये गये कि भारत का एकमात्र अपराध नियंत्रित नगर रामानुजगंज आपका स्वागत करता है।

(7) तीन नंबर घोषित व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार। उनके शादी विवाह, खान पान में शहर के लोग शामिल नहीं होते थे।

(8) चरित्रवानों से दूरी। अनेक निकम्मे चरित्रवान लोग रामानुजगंज में चरित्र के उंचे मापदण्ड बताते थे। ऐसे लोगों की रामानुजगंज में बैठक नहीं होने दी जाती थी क्योंकि जिन्होने अपना मोहल्ला अपराध नियंत्रित नहीं किया उन्हें रामानुजगंज में आकर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। यहॉ तक कि प्रतिष्ठित गांधीवादी या आर्य समाज के लोगों को भी रामानुजगंज में ऐसे प्रवचन, भाषण से रोका गया जो यहा के तरीको पर प्रश्न उठाते हों।

(9) छोटे छोटे आपराधिक मामलों में स्थानीय पंचायत व्यवस्था। शहर में अपने आंतरिक विवाद या छोटी छोटी चोरिया पुलिस और न्यायालय तक न जावे और उन्हें सामाजिक दण्ड व्यवस्था से निपटा दिया जाये।

(10) जातीय,धार्मिक, संगठन पर रोक। यह व्यवस्था बनी कि शहर में जातीय या धार्मिक संगठन नहीं बनेंगे, संस्थाये बन सकती हैं। रामानुजगंज के मुसलमानों ने इस व्यवस्था को मान लिया किन्तु संघ परिवार के एक गुट ने स्वीकार नहीं किया। दण्ड स्वरुप रामानुजगंज शहर में संघ की शाखा और बैठक पर पांच वर्ष के प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी तरह अम्बिकापुर के एक बहुत बडे नेता ने मुसलमानों की शहर में अलग बैठक लेनी चाही तो उन्हें भी बैठक नहीं लेने दिया गया।

मैं स्पष्ट कर दूँ कि किसी भी कार्य में कभी बल प्रयोग या कोई कानून नहीं तोडा जाता था। सामाजिक बहिष्कार और आपसी सहमति से ही सारे निणर्य कार्यांवित होते थे। इस तरह रामानुजगंज में आंशिक रुप से अपराध नियंत्रण का एक सफल प्रयोग किया।

अभ्युदय द्विवेदी

प्रश्न—आदरणीय मुनि जी । यदि अपराध नियंत्रण की ऐसी सफल व्यवस्था भारत के एक नगर रामानुजगंज मे सफलता पूर्वक चली तो सरकार के द्वारा इस तरह की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास क्यो नही किया गया, अथवा सरकार को इस प्रयोग की जानकारी नही है क्या? क्या इस प्रयोग करने मे आपको कोई कठिनाई नही उठानी पड़ी थी? आपके द्वारा इस कार्य को सामाजिक अंजाम तक पहुंचने के लिए वर्तमान समय मे क्या प्रयास किया जा रहा है? जैसा कि आपके विचारो को पढने से हमे ऐसा लगता है कि वर्तमान समस्याओ के समाधान के लिए आपका यह प्रयोग सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ कारगर साबित हो सकता है?

उत्तर— एक पेशेवर डाक्टर न मरीज को कभी स्वस्थ होने देता है न ही मरने देता है।। क्योकि उसके जीवित रहने मे ही उस डाक्टर की कमाई निर्भर करती है। इसी तरह हमारे देश की सरकारे न कभी अपराधो को घटने देती है और न ही अनियंत्रित होने देती है। वे निरंतर यथा स्थिति बनाकर आमलोगो से वोट लेने का चक्र जारी रखती है। हम लोगो ने रामानुजगंज मे उस चक्र को तोडा। सरकार इस सफल प्रयोग से परेशान हो रही थी, किन्तु चुप थी। जब हमलोगो ने अम्बिकापुर शहर मे इस दिशा मे प्रयत्न शुरू किये तो 1992 मे सबसे पहला विरोध संघ की ओर से हुआ। संघ अपराध नियंत्रण से तो सहमत था किन्तु साम्प्रदायिक एकता के बिल्कुल विरूद्ध था। अम्बिकापुर के बडे अपराधियो से भी टकराव हुआ और प्रशासन का साथ नही मिला। हमलोग रामानुजगंज तक सीमित हो गये। फिर भी हमारी मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार को यह अपराध नियंत्रण पसंद नही आया क्योकि हमारे प्रयत्नो के परिणाम स्वरूप नक्सलवाद भी छत्तीसगढ के हमारे क्षेत्र मे नही घुस पा रहा था। दिसम्बर 95 मे मुख्य मंत्री ने हमारे प्रयोग को कुचलना शुरू किया और कई जिलो की पुलिस द्वारा घेर कर नगर के प्रमुख लोगो को बंदी बना लिया गया। नागरिक व्यवस्था को कुचल दिया गया। प्रसिद्ध गांधीवादी ठाकुर दास जी बंग, अमर नाथ भाई आदि हमारे मार्ग दर्शक थे किन्तु गांधीवादियों का एक दुसरा गुट सरकार के समर्थन मे था। हमलोग हाई कोर्ट गये तो सरकार ने हमारी टीम पर नक्सलवादी होने तथा समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगाया लेकिन उच्च्व न्यायालय से एक महिने के अंदर हम यह कह कर मुक्त कर दिये गये कि जब तक कोई कानून नही तोडा जाता है तब तक किसी को नक्सलवादी या समानांतर कहकर आरोपित नही किया जा सकता। इस तरह हम लडाई जीत गये थे किन्तु पूरी

मध्य प्रदेश सरकार की पग पग पर टेढी नजर 2002 तक थी। यही कारण है कि हमारा प्रयोग देश भर मे रामानुजगंज तक ही सीमित रह गया।

सोनू देवरानी–

प्रश्न–आपने रामानुजगंज के लोगो को एक साथ कैसे जोडा, तथा जो प्रयोग आपलोगो ने रामानुजगंज मे किया वह आपके लिखे अनुसार सफल रहा है। तो मै जानना चाहता हूॅ कि वह व्यवस्था वर्तमान समय मे भी लागू है क्या?

उत्तर – रामानुजगंज के लोग मेरी बात को समझते नही थे किन्तु अक्षरशः मानते थे । दूसरी बात यह है कि जो भी निर्णय होता था वह लगभग सर्व सम्मति से होता था । यदि कोई विरोध होता था तो उस निर्णय को टाल दिया जाता था। इसलिये रामानुजगंज मे यह व्यवस्था लागू हो पाई। अभ्युदय द्विवेदी जी के प्रश्न के उत्तर मे बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका है। अब भी रामानुजगंज मे सत्तर अस्सी प्रतिशत तक यह व्यवस्था चल रही है। यद्यपि पूरे देश मे कही का समर्थन न मिलने के कारण धीरे धीरे कमजोर हो रही है।

अमित जी

प्रश्न– आपने लिखा है कि पहले हमलोगो ने अपराध गैर कानुनी तथा अनैतिक तीनो को अलग अलग किया तो इन तीनो मे क्या अंतर है? इसे परिभाषित कीजिये। कोई भी कानून तोडना अपराध नही होता क्या?

उत्तर– किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता मे बाधा पहुचाना अपराध है। किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारो मे बाधा पहुचाना गैर कानुनी है अपराध नही और सामाजिक अधिकारो मे बाधा पहुचाना अनैतिक है न अपराध है न गैर कानूनी। आजकल थोडे से कानून ही अपराध की श्रेणी मे आते है । किन्तु राजनेताओ ने बुरी नीयत से गैर कानूनी तथा अनैतिक को भी अपराध घोषित कर रखा है। जो गलत है।

(2) सत्यपाल शर्मा,नवीनगर, बरेली,उ0प्र0 166094

प्रश्नः–पर्यावरण प्रदुषण बढता जा रहा है। मौसम चक्र बिगड़ गया । उत्तर भारत भयंकर गर्मी की चपेट में हैं। पर्यावरण प्रदुषण तथा मौसम चक्र में अनियमित्ता के लिए वर्तमान तथा पिछली सरकारे दोषी हैं। विकास और औद्योगीकरण के नाम पर लाखो की संख्या में वृक्ष काटे जा रहे है। उनके स्थान पर थोडे से नये वृक्ष लगाये जा रहे हैं। जब इन्सान मिटटी और फूस के मकानों में रहता था तब आज से अधिक सन्तुष्ट और प्रसन्न था। सरकार ओवर खेज और कंकरीट से सडके बना रही है । लेकिन कृषि क्षेत्र तथा वृक्षारोपण के प्रति ज्यादा सजग नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण किसान आये दिन आत्महत्या कर रहे हैं। जनसंख्या में वेतहाशा वृद्धि हो रही है । सरकार की नीति एवं नीयत वोट बैंक बढाने वाली तथा सत्ता पर काबिज रहने वाली है।

उत्तरः–समस्यायें पांच प्रकार की होती हैं– 1 आपराधिक 2 कृत्रिम 3 प्राकृतिक 4 भूमण्लीय 5 असत्य। आदर्श स्थिति में प्राथमिकताओं का क्रम एक से पांच की दिशा में जाना चाहिये था किन्तु यह क्रम पांच से एक की दिशा में जा रहा है। महंगाई, महिला उत्पीडन, बेरोजगारी जैसी अनेक असत्य समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है। जबकि पांच प्रकार के अपराधों के नियंत्रण पर सबसे कम ध्यान है। पर्यावरण प्रदूषण का बढना विश्वस्तरीय समस्या है जो चौथे क्रम पर आती है, पहले क्रम पर नहीं। इसका अर्थ है कि हम पर्यावरण प्रदूषण रोकने पर सर्वाधिक प्रयत्न नहीं कर सकते।

आपने वृक्षारोपण की चर्चा की। भारत में कुल मिलाकर भूमि जितनी है वह नहीं बढाई जा सकती । दूसरी ओर आबादी बढ रही है और आबादी भी तुरन्त नही रोकी जा सकती। इसका अर्थ है कि कृषि उत्पादन, सिंचाई, उद्योग धंधे, आवागमन सुविधा,वनक्षेत्र विस्तार में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए भूमि अधिक बढानी होगी। चूंकि किसी भी क्षेत्र से भूमि नहीं घटाई जा सकती और भूमि का क्षेत्रफल बढ भी नहीं सकता इसलिए हमें उपलब्ध भूमि में ही पांचो प्रकार की आवश्यकताओं का संतुलन बनाना होगा। यदि पांचों प्रकार की भूमि की मांग करने वाले एक साथ बैठकर निपटारा कर ले तो कोई बात नहीं किन्तु मांग करने वालो का उददेश्य अपने को स्थापित करना अधिक है समस्या का समाधान कम। यह कैसे संभव है कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए वन विस्तार हो किन्तु अन्य क्षेत्रों से भूमि न निकाली जाये।

पूरी दुनिया में मानव स्वभाव तापवृद्धि संकट का रुप ले रही है भारत में तो यह आपातकाल तक की सीमा पार कर चुकी है । यदि हम साम्यवाद को भारत मे समाप्त भी मान ले तो वर्तमान समय मे संघ परिवार और इस्लाम सबसे अधिक प्रभाव शाली है। दोनो ही हिंसा पर विश्वास करने वाले है और हिंसा का विस्तार कर रहे है। यहां तक कि शान्ति के पुजारी गांधीवादी भी नक्सलवाद के समर्थन मे खडे दिखते है। मुझे लगता है कि पर्यावरण की तुलना मे हिंसक प्रवृत्ति के विस्तार पर अधिक चर्चा होनी चाहिये। मैं नहीं समझ रहा कि ग्लोवल वार्मिंग का स्वाभाविक अर्थ मानव स्वभाव तापवृद्धि से बदल कर पर्यावरणीय तापवृद्धि कैसे कर दिया गया। आपने भी पर्यावरण की जितनी चिंता की उतनी मानव स्वभाव तापवृद्धि की नहीं की । मैं समझता हूॅ कि पर्यावरण प्रदुषण जैसी समस्या को प्राथमिकताओं में उपर नहीं रखा जा सकता । इसलिए वर्तमान समय में पर्यावरण की चर्चा करना एक फैशन बन गया है और जब ऐसा फैशन विदेशों से धन प्राप्त लोगों का खेल बन जाता है तब हम आप सबको इस खेल से बचना चाहिये। पर्यावरण प्रदुषण एक समस्या है किन्तु सबसे बडी समस्या नहीं।

3 विजय सिंह बलवाल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, ज्ञानतत्व–179050

प्रश्न– ज्ञान तत्व अंक 347 प्राप्त हुआ। हार्दिक आभार।

आपने सही कहा वर्ग निर्माण, वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष हमेशा समाज को तोडता है। महिला सशक्तिकरण का उददेश्य वर्ग निर्माण मात्र है। ऐसा संगठन घातक होता है। महिला पुरूष दोनो ही समाज के अंग है। फिर वर्ग निर्माण करना क्या उचित है? कानून बनाकर किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार देना गलत है। विपक्ष मजबूत होना आवश्यक है ताकि संसद व विधान सभा मे गलत या मनमाना कानून बनाने को सशक्त विरोध से रोका जा सके वरना बहुमत वाले लोग मनमानी करेंगे जिससे राष्ट्र को नुकसान होगा।

ज्ञानतत्व वास्तव मे ही ज्ञान का तत्व प्रस्तुत करने मे सक्षम व समाज व राष्ट को जोडने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आपके विचारो से मै सहमत हूॅ आपके विचारो से राष्ट्र का उत्थान होना संभव है। बशर्ते सरकार आपके विचारो का अनुपालन करे।

उत्तर– विपक्ष से आपका आशय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था मे सरकारी पक्ष और विपक्ष से है। जबकि सच्चाई यह है कि संसदीय लोकतंत्र विदेशो की नकल है, और भारत को अब उस असफल व्यवस्था से आगे निकलना चाहिये। भारत मे एक पक्ष है तंत्र का और दूसरा पक्ष है लोक का । तंत्र ने लोक को गुलाम बना लिया है । अब विपक्ष अर्थात लोक को तंत्र से मजबूत होना चाहिये, तभी लोक तंत्र लोक नियंत्रित तंत्र बन सकेगा।

4 शिवदत्त बाघा बांदा उत्तर प्रदेश

प्रश्न–ज्ञान तत्व 15 से 30 अप्रैल संख्या 352 मे आपने मेरी बात पर जो प्रतिकिया दी है कि जो कुछ भी लिखा गया वह सूचना मात्र है। एक दम सही कहा है आपने । वास्तव मे मेरे द्वारा जो कुछ भी कहा गया सचमुच वह सूचना ही है संसार के बीमार होने की। अब बीमारी की सूचना भी किसी जानकार व हकीम को ही दी जा सकती है। किसी अनाडी या झोलाछाप को नही। आज सारे विश्व मे वैचारिक बीमारी का भारी प्रकोप छाया हुआ है जो महामारी का रूप ले चुका है। आई एस का खलीफा बगदादी सारी दुनियां को इस्लामी रंग मे रंगने के लिये आतुर है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिये बेगुनाहो का खून बहा रहा है। मिशनरी रोज सारी दुनियां का इसाईकरण चाहते है। धर्म की आड मे संख्या बल बढाकर दुनियां की आबादी को एक कौम एक साम्प्रदाय के आधीन करने की ख्वाहिश है। क्या यह दुनिया के स्वस्थ होने का प्रमाण है। एक पागल आदमी सारी दुनियां से खुद को उपर श्रेष्ठ महान समझता है तथा जो कुछ भी करता है उसे बहुत सही समझता है। रचनाकार की रचना मे अपना पैबंद लगाने वाले लोग या अपने तरीके से उसे हैन्डिल करने वाले यदि खुद को रचनाकार से उपर समझ बैठे है तो उनकी धार्मिकता पर तरश ही खाया जा सकता है।यह छिछलापन ही दुनिया मे विवाद अशांन्ति हिंसा का कारण है। यह अधिकार किसने किसको दिया कि कोई रचनाकार की रचना मे मीन मेख निकाले और उस पर अपनी निजी कुचेष्ठाए डाले, वह भी धर्म की आड मे। कुल मिलाकर वैचारिक रूप से हम एक बीमार दुनिया मे रह रहे है। दुनियां का धार्मिक पक्ष रूग्ण हुआ तो राजनीतिक हिस्सा बीमारी की चपेट मे न आए ऐसा संभव नही। आज धर्म और राजनीति दो अलग संस्थाए नही दिखती। इनके घालमेल से ही विश्व

भारी अशान्ति अमानवीय आचरण व हिंसा के दौर से गुजर रहा है। एक राजनीतिक धर्म की व्याख्या कर रहा है तो दूसरी ओर धर्म राजनतिक आश्रय ढूढ रहा है। उसे भी सत्ता की चकाचौध आकर्षित कर रही है। कहने की जरूरत नही कि इस घालमेल मे माओ मार्क्स लेनीन चारू मजूमदार को मानवता का उधारक मान बैठे है। इन हालातो मे सबसे बडी हानि तो भारत की है कि वह खुद को भूलकर औरो का झंडा उठाये घूम रहा है। यह भारत का नामान्तरण इंडिया का ही असर है कि रामभक्तो पर गोलियां वर्षाई जाती है और साधू संतो को राजनीति के खांचे मे डालकर देखा जाता है। विश्व राजनीति इन संतो महात्माओ को विश्वामित्र मानने से इंकार कर रही है जबकि इनका चिंतन दर्शन आत्मवत सर्वभूतेषु से शुरू होता है। अर्थ यह कि सबसे हटकर हिन्दू या सनातनी दर्शन दुनिया का इंसानीकरण चाहता है। अगर आज की दुनियां को हम इंसानो की दुनियां मे बदलने मे कामयाब हो सके तो सारे विवाद रगडे झगडे खून खराबा समाप्त। बंटा हुआ आदमी ही विवाद की जड है। विविधता और विभाजन मे अंतर समझना जरूरी है बंटे हुए आदमी के संदर्भ मे । गुलाब और चमेली एक साथ अपनी सुगंध बिखेरे तो यह रचनाकार की रचना मे विविधता की इच्छा से उपजती श्रेष्ठता सुन्दरता व शुभ का सबूत है यानी सत्यन, शिवम, सुन्दरम । पर इस पर किसी प्रकार का विवाद खडा कर देना रचनाकार की स्वेच्छा का इंकार। इस इंकार को ही धर्म का नाम दिया जाता है। ईश्वर की सत्ता पर धरती पर टंग रहे जीवो की सत्ता को सर्वोपरि ठहराने के उददेश्य से । विचार आपको देना है बीमारी का इलाज कहां से कैसे कारगर तरीके से शुरू हो। क्योकि आप एक विख्यात हकीम है।

उत्तर– आपने जो सूचनाए फिर से दी है वे सूचनाए मेरी जानकारी मे है। विचारणीय यह है कि प्रवृत्ति के आधार पर धर्म की पहचान की जाय अथवा धर्म के अभाव पर प्रवृत्ति मान ली जाये। ऐसा लगता है कि आप धर्म के आधार पर प्रवृत्ति घोषित कर रहे है। जबकि मै प्रवृत्ति के आधार पर धर्म की मान्यता रखता हूँ । बगदादी आदि बंदूक के बल पर अपनी बात रखवाना चाहते है और कोई रामभक्त बल पूर्वक मंदिर बनाना चाहता है। तो दोनो मे से इस्लामिक मान्यताओ को अधिक खतरनाक कहा जा सकता है किन्तु प्रवृत्ति अलग नही होती । हमलोग दोनो को साम्प्रदायिक तत्व मानते है भले ही मात्रा का भेद हो । मुस्लिम साम्प्रदायिक और हिन्दू साम्प्रदायिक अलग अलग होते हुए भी है तो साम्प्रदायिक ही। मै किसी शान्ति प्रिय मुसलमान की तुलना मे किसी हिंसक प्रवृत्ति के साम्प्रदायिक हिन्दू को ज्यादा इस्लाम के नजदीक मानता हूँ। यदि साम्प्रदायिक तत्व आपस मे हिंसक टकराव करते है तो हम शान्ति प्रिय लोग तब तक ऐसे टकराव को प्रोत्साहित करेंगे जब तक दोनो से एक साथ मुकाबला करने की स्थिति न बने । इसीलिये वर्तमान समय मे हम साम्प्रदायिक मुसलमानो की तुलना मे साम्प्रदायिक हिन्दुओ को अधिक समर्थन की नीति पर चल रहे है किन्तु यह बात स्पष्ट है कि हम साम्प्रदायिकता के साथ कभी सहभागिता नही करेंगे।

मंथन समीक्षा

प्रिय मित्रों

हम कुछ साथियों ने मिलकर मंथन नाम से एक ऐसा बौद्धिक व्यायाम का प्लेटफार्म शुरु किया है जिसमें विपरीत विचारों के लोग एक साथ किसी निश्चित विषय पर स्वतंत्र विचार प्रस्तुत करते हैं। मंथन में व्यक्त विचारों से आपकी भावना भी आहत हो सकती हैं और क्रोध भी आ सकता है। विचार प्रसार में लगे प्रतिबद्ध लोगों का विरोध भी संभव है। मैंने मंथन के प्रारंभ में ही निवेदन किया था कि भावना प्रधान,विचारप्रचारक या प्रतिबद्ध विचार वालों को या तो मंथन से दूर रहना चाहिये या अपने कथन में तर्क से आगे की सीमा न तोडकर संयम का उपयोग सीखना चाहिये।

मंथन के सभी विषय ऐसे हैं जो अलग अलग संदर्भ के हैं। अमीरी रेखा पर चर्चा के क्रम में अमीरी रेखा के एक प्रचारक साथी विजय भाई इतने नाराज हुये कि उन्होने अभद्र शब्द प्रयोग करते हुए मुझसे क्षमा याचना की मांग कर दी। मैंने बडी मुश्किल से उनसे पिण्ड छुडाया यद्यपि मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मेरे मंथन में प्रस्तुत विचार पूरी तरह लीक से हटकर होते हैं। सात दिन के बाद विषय और संदर्भ बदल ही जाता है।

मैंने कल भ्रष्टाचार विषय पर चर्चा करते समय लिखा कि भ्रष्टाचार कभी अपराध नहीं होता बल्कि गैर कानूनी होता है। भ्रष्टाचार दो नम्बर का काम है तीन नम्बर का नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता तथा सम्पत्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। एक मित्र को लगा कि

सम्पत्ति को मौलिक अधिकार कहना गलत है। मेरी जानकारी के अनुसार भारत में सम्पत्ति को मौलिक अधिकार कहने वाले लोगों में शायद मैं अकेला होउंगा। मेरे निकट के मित्र भी मेरे विचार से सहमत नहीं। मुझे खुशी हुई कि मेरे मित्र नारायण कौरव जी ने अलग से सम्पत्ति मौलिक अधिकार पर बहस चलाई। ऐसे विषयों पर अलग अलग स्वतंत्र विचार होना बहुत अच्छा है। मंथन कमांक 22 में मौलिक अधिकारों पर पूरी चर्चा हो चुकी है। मैं सम्पत्ति को मौलिक अधिकार कहने वाला अकेला होते हुए भी अपने विचार पर दृढ हूॅ। फिर भी यदि कोई साथी फिर प्रश्न करेंगे तो मैं कल संक्षेप में दुबारा चर्चा शुरु करने के लिये तैयार हूॅ।

जिस तरह लगातार मंथन से मित्र जुड रहे है तथा दिल्ली में भी करीब पचास भिन्न विचारों के मित्र छः घंटे स्वतंत्र चर्चा किये उससे मैं बहुत प्रसन्न हूॅ। दिल्ली में अगला मंथन पांच अगस्त को उसी स्थान पर छः घंटे का होगा। विषय भ्रष्टाचार,किसान आत्महत्या, आरक्षण तथा स्वतंत्र अर्थपालिका रहेगा। सभी साथियों से भाग लेने की अपेक्षा है तथा अन्य मित्रों को भी सूचना दे सकते हैं।